संख्या-15/2017/सा-3-328/दस-2017-301(09)/2003 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2017

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

शासनादेश संख्या-3-1118/दस-2011-301(09)/2003 टी0सी0, दिनांक 16-09-2011 द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये हैं कि केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोडे जाने का पारस्परिक समझौता है, के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान मे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते है तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेगें ।

2- केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिनांक 01-01-2004 से लागू की गयी है जबकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भिन्न-भिन्न तिथियों से लागू की गयी है, यथा- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2005 से, गोवा सरकार द्वारा 05-08-2005 से, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 01-10-2005 से, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 01-11-2005 से, हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2006 से, कर्नाटक तथा सिक्किम सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2006 से, नागालैण्ड, मेघालय एवं मिजोरम द्वारा

-2-

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रमशः दिनांक 01-01-2010, 01-04-2010, तथा 01-09-2010 से तथा केरल सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2013 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी है। एन0पी0एस0 ट्रस्ट की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी विवरण इस शासनादेश के साथ संलग्न है ।

3- उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा मे दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त हुये कतिपय कर्मचारीगण, जो उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में आने के पूर्व किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, द्वारा इस अनुरोध के साथ प्रत्यावेदन दिये जा रहे हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय। इसमें कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी दूसरे राज्य में नियुक्ति की तिथि 01-04-2005 के पहले की थी जबकि कुछ कर्मचारी ऐसे है जिनकी दूसरे राज्य में नियुक्ति की तिथि 01-04-2005 अथवा उसके उपरान्त की थी।

4- इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त कोई कर्मचारी यदि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में आने के पूर्व किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यरत था और तत्समय उस राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू थी, तो भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से ही आच्छादित होगा । यह आदेश दिनांक 01-04-2005 से लागू माना जायेगा ।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव ।

-3-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-15-2017/सा-3-328(1)/दस-2017-301(09)/2003 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-15-2017/सा-3-328(1)/दस-2017-301(09)/2003 टी0सी0

दिनांक 28 जून, 2017 का संलग्नक

एन0पी0एस0 ट्रस्ट की वेबसाइट से प्राप्त विवरण के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना लागू किये जाने की तिथियां

Sl No.	State	Type	Date of Notification	Date of Adoption	Reference Number
1	Andhra Pradesh	State Notification	22/09/2004	1/9/2004	G.O. Ms. No. 653, FINANCE (Pension -I) Department
2	Andhra Pradesh	Other Notification	18/06/2012	1/9/2004	Circular Memo No. 41/01/A2//Pen.I/2012 of Finance (Pension-I) Department
3	Arunachal Pradseh	State Notification	17/11/2007	1/1/2008	No./ DAP/PEN/11/2004 of Finance Department
4	Assam	State Notification	25/01/2005	1/2/2005	No. BW 3/2003/Pt.II/1 of Finance (Budget) Deptt.
5	Assam	Other Notification	18/10/2012	1/2/2005	No. BW 7/2008/Pt. -I/69 of Finance (Budget) Deptt.
6	Bihar	State Notification	31/08/2005	1/9/2005	F No. F (27) P.C-53/04-1964 of Finance Deptt
7	Bihar	Other Notification	31/08/2005	1/9/2005	F No. F (27) P.C-53/04-1964 of Finance Deptt
8	Chhattisgarh	State Notification	27/10/2004	1/11/2004	F No. 977/761/F/R/04 of Deptt. Of Finance & Planning
9	Chhattisgarh	Other Notification	1/8/2012	1/4/2012	No. 1230/F 1-41/2009/Fin./S/4/2012 of Deptt. Of Finance & Planning
10	Goa	State Notification	5/8/2005	5/8/2005	No. 12/4/2004/Fin.(R&C) of Finance (R&C) Deptt.
11	Goa	Other Notification	5/8/2005	5/8/2005	No. 12/4/2004/Fin.(R&C) of Finance (R&C) Deptt.
12	Gujarat	State Notification	18/03/2005	1/4/2005	G.R.No.NPN-2003-GOI-10-P of Finance Deptt.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

13	Gujarat	Other Notification	23/08/2013	1/4/2005	G.R.No. NPN-102011/O-115/(810/2013)-P of Finance Deptt.
14	Haryana	State Notification	18/08/2008	1/1/2006	No. 1/1/2004 -1 Pension of Finance Deptt.
15	Haryana	Other Notification	2/3/2010	1/12006	No. 2/47/2007-1 Pension of Finance Deptt.
16	Himachal Pradesh	State Notification	17/08/2006	15/5/2003	No. Fin (Pen) A (3) -1/96 of Finance (Pension) Department
17	Jammu & Kashmir	State Notification	24/12/2009	1/1/2010	SRO-400 of Finance Deptt.
18	Jharkhand	State Notification	9/12/2004	1/12/2004	D P -5-47-03-518/FDS of Finance Deptt.
19	Karnataka	State Notification	31/03/2006	1/4/2006	FD (SPL) 04 PET 2005 of Finance Deptt.
20	Kerala	State Notification	7/1/2013	1/4/2013	G O (P) No. 20/2013 /Fin. Of of Finance (Pension A) Deptt.
21	Madhya Pradesh	State Notification	13/04/2005	1/1/2005	No./ F-9/3/2003/Niyam/4, Bhopal of Finance Deptt.
22	Madhya Pradesh	Other Notification	22/05/2010	1/1/2005	No./ F-9/3/2003/Niyam/4, Bhopal of Finance Deptt.
23	Maharashtra	State Notification	31/10/2005	1/11/2005	No.CPS-1005/ 126/SER-4 of Finance Deptt.
24	Manipur	State Notification	31/12/2004	1/1/2005	No. 9/44/2004-FD (PIC) of Finance Deptt. Pay Implementation Cell
25	Meghalaya	State Notification	24/03/2010	1/4/2010	FEMPC) 7/2007/Pt.II/66 of Finance (Pension Cell) Deptt.
26	Mizoram	State Notification	17/06/2010	1/9/2010	No. G 17011/2/2008-F.APF of Finance Deptt.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

27	Nagaland	State Notification	28/01/2010	1/1/2010	No. Fin ESTT-3/04/ Pt of of Finance Deptt. (Establishment Branch & ROP Cell)
28	Odisha	State Notification	17/09/2005	1/1/2005	No.Pen-5/05-44451/F of Finance Deptt.
29	Odisha	Other Notification	1/11/2012	1/1/2005	No. Pen-250/12 36690/F of Finance Deptt.
30	Punjab	State Notification	2/3/2004	1/1/2004	No. 8/1/2004-3FPII/2078 of Finance Deptt.
31	Punjab	Other Notification	9/7/2012	1/1/2004	No. 5/44/2012-5FPPI/758 of Finance Deptt.
32	Rajasthan	State Notification	28/01/2004	1/1/2004	No. F 13(1) FD/Rules/2003 of Finance Deptt. (Rules Division)
33	Rajasthan	Other Notification	20/06/2011	1/1/2004	No. F -133/NPS/SAB/2011/527 of State Insurance and Provident Fund Deptt.
34	Sikkim	State Notification	10/11/2010	1/4/2006	No. GOS/Fin.(Adm) 98-99/0-043/Fin/304 of Finance, Revenue & Expenditure Department
35	Tamil Nadu	State Notification	6/8/2003	1/4/2003	G O No. 259 of Finance Deptt.
36	Uttar Pradesh	State Notification	28/03/2005	1/4/2005	UP Gazette Notification
37	Uttar Pradesh	Other Notification	21/03/2012	1/4/2005	S-3-517/10-2012/301(9)/SAB/2011
38	Uttarakhand	State Notification	25/10/2005	1/10/2005	No. 21/XXVII(7) CPS/2005 of Finance (General Rules- Pay Commission) Section-7
39	Uttarakhand	Other Notification	25/10/2005	1/10/2005	No. 21/XXVII(7) CPS/2005 of Finance (General Rules- Pay Commission) Section-7

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।